

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2188

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार एस.आर. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. महाविद्यालय का भवन पूर्णतः निर्मित है।
2. पुस्तकालय में 6912 पुस्तकें हैं, इस वर्ष 698 पुस्तकें क्रय की गयी हैं।
3. प्राचार्य व शिक्षक परिनियम 28(17) में नियुक्त हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति प्रबंध समिति ने की है।
4. समस्त प्रयोगशालाएं संतोषप्रद हैं।
5. महाविद्यालय पुस्तकालय का कम्प्यूटीकरण प्रारंभ करें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एस.आर. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2189

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार वीणा वादिनी टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. महाविद्यालय का स्वयं का भवन है जिसमें अध्यापन की पर्याप्त सुविधा है।
2. शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28(17) के अन्तर्गत है।
3. पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें हैं, महाविद्यालय प्रतिवर्ष नियमित रूप से न्यूनतम 100 पुस्तकें क्रय किया करें। पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण है।
4. महाविद्यालय में सी.सी.टी.वी. की सुविधा है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, वीणा वादिनी टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2190

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार श्री आर.एन.एस. शिक्षा महाविद्यालय, सिधौली, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. महाविद्यालय का खुद का भवन है।
2. लाइब्रेरी में 3747 किताबें हैं। डेलनेट के माध्यम से जर्नल्स मौजूद हैं। हार्डकॉपी में 05 आते हैं।
3. आर्ट/ क्राफ्ट एवं साइंस लैब मौजूद थी।
4. कम्प्यूटर लैब में 04 कम्प्यूटर थे। सायकोलॉजी लैब में मात्र 4 उपकरण थे।
5. समस्त स्टाफ (1+7) का अनुमोदन विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा किया जा चुका है।
6. निरीक्षण के समय समस्त स्टाफ मौजूद था।
7. एक ही कैंपस में 04 महाविद्यालय संचालित हैं।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री आर.एन.एस. शिक्षा महाविद्यालय, सिधौली, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अभिषेक,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



याग : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2191

दिनांक : 14-07-2015


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार एन.आर.आई. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय का भवन है।
2. प्रबंध समिति द्वारा 1+16 नियुक्तियां कर ली गई है। निरीक्षण के समय स्टाफ मौजूद था।
3. महाविद्यालय के पास साइंस लैब, सायकोलॉजी लैब, म्यूजिक, स्पोर्ट आदि सुविधायें मौजूद थी।
4. महाविद्यालय को सत्र 2015-16 की मान्यता उच्च शिक्षा एवं एन.सी.टी.ई. से मिल चुकी है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एन.आर.आई. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2192

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार कामतानाथ बी.एड. कॉलेज, डबरा, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय का भवन करीब-करीब तैयार है।
2. महाविद्यालय द्वारा स्टाफ की नियुक्तियां 90 दिवस के लिये कर ली गई है।
3. साइंस लैब एवं सायकोलॉजी लैब में सामान पर्याप्त है।
4. स्पोर्ट के सामान में कमी है।
5. उपर के मंजिल पर निर्माण कार्य चलने के कारण लायब्रेरी को भवन से हटा दिया था।
6. महाविद्यालय के पास एक्सेसन रजिस्टर के अनुसार 3015 किताबें थीं।
7. महाविद्यालय के जमीन के दस्तावेज किसी सक्षम अधिकारी से जांच कराये जावें।
8. महाविद्यालय को एन.सी.टी.ई. से 01.03.2015 को एवं उच्च शिक्षा से 30.03.2015 को मान्यता मिली है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, कामतानाथ बी.एड. कॉलेज, डबरा, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2193

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार मॉ कैलादेवी इंस्टीट्यूट, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम है अतः सम्बद्धता के पश्चात निर्धारित समय में 28(17) के अन्तर्गत प्राचार्य, शिक्षक, क्रीडाधिकारी, लायब्रेरीयन आदि अन्य स्टाफ की नियुक्ति कर उनका अनुमोदन कार्यपरिषद से करवायें।
2. एन.सी.टी.ई. एक्ट 2014 का पालन करें।
3. ई.टी. लैब, सायकोलॉजी लैब, साइंस लैब आदि में सभी उपकरणों पर महाविद्यालय का नाम लिखें।
4. स्टोक रजिस्टर का संधारण उचित प्रकार से करें।
5. कक्षाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवायें।
6. जनरेटर की व्यवस्था की।
7. कॉलेज कोड 27-28 का पालन करें।
8. सभी स्टाफ को भुगतान बैंक के माध्यम से करें।
9. गर्ल्स कॉमन रूम उचित सुविधाओं के साथ बनायें।
10. खेल का मैदान विकसित करें।
11. नेट कनेक्टिविटी उचित प्रकार से करें।
12. पुस्तकालय में रुपए 20,000/- की नई पुस्तकें क्रय करें।
13. कॉलेज की वेबसाइट पर कॉलेज की सभी जानकारी डालें तथा वेबसाइट का प्रिंट आउट लगायें।
14. ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, मॉ कैलादेवी इंस्टीट्यूट, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2194

दिनांक 14-07-2015


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार फ्लोरेस नाइटिंगल कॉलेज, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय में बी.एड. पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष है, अतः स्टाफ 90 दिन के लिए नियुक्त है। सम्बद्धता के पश्चात निर्धारित समय सीमा में 28/17 के अंतर्गत प्राचार्य, शिक्षक, लायब्रेरीयन, स्पोर्ट ऑफिसर आदि की नियुक्ति करें एवं उनका अनुमोदन कार्यपरिषद से करावें।
2. सभी कर्मचारियों को भुगतान बैंक के माध्यम से किया जावें।
3. महाविद्यालय की सायकोलॉजी लैब, साइंस लैब, ए.टी. लैब आदि उपकरणों पर महाविद्यालय का नाम लिखे एवं उनका स्टोक रजिस्टर उचित रूप से बनावें।
4. महाविद्यालय में मल्टीपरपस हॉल में लेक्चर स्टेण्ड और फर्नीचर आदि पर महाविद्यालय का नाम अंकित करें।
5. पुस्तकालय में रुपए 20,000/- की नई पुस्तकें क्रय करें तथा सभी पुस्तकों पर उचित सील लगावें।
6. कॉलेज की वेबसाइट पर कॉलेज की सभी इन्फॉर्मेशन लोड की जावें।
7. गर्ल्स कॉमन रूम उचित प्रकार से सुविधायुक्त करें।
8. क्लासरूम में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगावें।
9. इंटरनेट कनेक्शन करवावें।
10. एन.सी.टी. एक्ट, 2014 का पालन करें।
11. कॉलेज कोड 27/28 का पालन सुनिश्चित करें।
12. ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, फ्लोरेस नाइटिंगल कॉलेज, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



नाम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक -
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2195

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार नेशनल एज्यूकेशन कॉलेज, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. कक्षाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जायें।
2. परीक्षा भवन में भी सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जायें।
3. रु. 20,000/- की पुस्तकें क्रय की जायें।
4. 27-28 का पालन किया जाये।

परिनियम 28(17) के अन्तर्गत भविष्य में शिक्षकों की संख्या एन.सी.टी.ई. के मापदण्डों के अनुरूप पूरी कर ली जावे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, नेशनल एज्यूकेशन कॉलेज, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2196

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार जैन इंस्टीट्यूट, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय में नियुक्त प्राचार्य एवं अन्य शिक्षकों का अनुमोदन कार्यपरिषद से कराया जावे।
2. नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार 50,000/- (पचास हजार) की पुस्तकें कय की जावे।
3. 50,000/- के नवीन उपकरण प्रयोगशालाओं हेतु कय किये जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, जैन इंस्टीट्यूट, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2197

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय में भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, भाषा लैब आदि की सुविधाएं अत्यंत संतोषप्रद हैं।
2. प्राचार्य व शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति परिनियम 28(17) के अनुसार है।
3. पुस्तकालय का कम्प्यूटराइजेशन हो चुका है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2198

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार सन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एज्युकेशन, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. परिनियम 28(17) की सभी नियुक्तियों का अनुमोदन विश्वविद्यालय कार्यपरिषद से कराया जावे।
2. नवीन पाठ्यक्रम के संदर्भ में पुस्तकें कय की जावें।
3. प्रयोगशालाओं को रुपए 50,000/- के उपकरण कय करके सुसज्जित किया जावे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, सन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एज्युकेशन, ग्वालियर
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2199

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार मॉ कैला देवी शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

- परिनियम 28(17) की सभी नियुक्तियों का अनुमोदन विश्वविद्यालय कार्यपरिषद से कराया जावे।
- नवीन पाठ्यक्रम के संदर्भ में रुपए 50,000/- की पुस्तकें कय की जावें।
- प्रयोगशालाओं को रुपए 50,000/- के उपकरण कय करके सुसज्जित किया जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

- प्राचार्य, मॉ कैला देवी शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।
- सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : सूनीपर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2200

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार गौतम कॉलेज ऑफ लाइफ साइन्सेस एण्ड टेक्नोलॉजी, इबरा, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय की प्रयोगशालाओं में कुछ और समुचित उपकरण कय कर रखे जावे।
2. कीडा परिसर को और उन्नत बनाया जावे।
3. पुस्तकालय में लेटेस्ट जर्नल्स पत्र पत्रिकाए (2015 के) कय कर रखी जावें।
4. परिनियम 27-28 का पालन पूर्व की भांति ही यथावत किया जावें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, गौतम कॉलेज ऑफ लाइफ साइन्सेस एण्ड टेक्नोलॉजी, इबरा, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाये जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2202

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार शिवनाथ सिंह एज्यूकेशनल महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. लाइब्रेरी में 4815 किताबें हैं एवं 866 टाइटिल्स हैं। महाविद्यालय में 26 जर्नल्स आते हैं।
2. महाविद्यालय के पास 20 कम्प्यूटर हैं तथा एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है।
3. 07 शिक्षक, प्रिंसीपल का अनुमोदन कार्यपरिषद से हो चुका है। वर्तमान में 16 शिक्षकों का 28(17) के तहत चयन हो चुका है।
4. स्पोर्ट फेसिलिटी पर्याप्त है। महाविद्यालय परिसर में 16 सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हैं। स्पोर्ट, म्यूजिक, ई.टी. लैब एवं सायकोलॉजी लैब पर्याप्त हैं, भूमि महाविद्यालय के नाम की जावे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, शिवनाथ सिंह एज्यूकेशनल महाविद्यालय, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2203


दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार के.बी.एम. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, बरौआ, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।


निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. शासी निकाय का गठन करवाकर नियमित बैठक करवायी जाये।
2. रिसर्च जर्नल्स नियमित क्रय किए जावें।
3. परिनियम 27,28 का पालन किया जावें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, के.बी.एम. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, बरौआ, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2204

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार देहली पब्लिक एकेडमी कॉलेज, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. क्राफ्ट सामग्रियों को एक कक्ष में व्यवस्थित करवायी जावें।
2. शासी निकाय का गठन कर उसकी नियमित बैठक करवायी जायें।
3. परिचय 27,28 का पालन किया जावें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, डी.पी.ए. कॉलेज, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, संतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2205

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार पी.आई.पी.एस. कॉलेज, बरौआ, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय द्वारा 15,000/- रुपये की खेल सामग्री क्रय किए जाने तथा एज्युकेशन टेक्नोलॉजी लैब को विकसित किए जाने की आवश्यकता है।
2. रिसर्च जर्नल्स भी क्रय किए जावें।
3. शासी निकाय का गठन एवं बैठक करवायी जाए।
4. पुस्तकालय को व्यवस्थित करें।
5. परिनियम 27,28 का पालन सुनिश्चित करें।
6. ऑडिट रिपोर्ट जमा करावें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, पी.आई.पी.एस. कॉलेज, बरौआ, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2206

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार आर.ए.बी., शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय द्वारा 28(17) के तहत नियुक्तियां कर ली गई हैं, निरीक्षण के समय 06 स्टॉफ उपस्थित था, प्राचार्य अनुपस्थित थे।
2. पूर्व में लगाई गई शर्तों में से कुछ पूर्ण नहीं की गई है।
3. साइंस लैब, सायकोलॉजी लैब अपर्याप्त थी, 03 कम्प्यूटर थे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर नहीं था।
4. लायब्रेरी में पूर्व शर्त के अनुसार 01 लाख की पुस्तकें क्रय की जानी थी। परंतु अच्छी/सिलेबस के अनुसार नहीं खरीदी है।
5. खेल का मैदान भी विकसित नहीं था।
6. महाविद्यालय का यह दूसरा वर्ष है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, आर.ए.बी., शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015-1207

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस कॉलेज, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. कक्षाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जायें।
2. खेल मैदान विकसित करें।
3. नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार रु. 50,000/- की पुस्तकें कय करें।
4. एन.सी.टी.ई. एक्ट 2014 के अनुरूप स्टाफ की नियुक्ति करें।
5. कम्प्यूटर, सायकोलॉजी लैब को और सुसज्जित करें।
6. कॉलेज कोड 27-28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें।
7. गवर्निंग बॉडी मीटिंग में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि को अनिवार्यतः आमंत्रित करें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस कॉलेज, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



भाषा : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/११०८

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार सर्वधर्म शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. अगले सत्र में अधिनियम 28(17) की सभी नियुक्तियों का अनुमोदन कार्य परिषद से कराया जाये।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, सर्वधर्म शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : रूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2209

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार अमर भारतीय महाविद्यालय, धनेली, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

- परिनियम 28(17) की सभी नियुक्तियों का अनुमोदन विश्वविद्यालय कार्यपरिषद से कराया जाये।
- नवीन पाठ्यक्रम के संदर्भ में रु. 50,000/- (पचास हजार रुपए) की पुस्तकें कय की जावे।
- विद्युत तथा इंटरनेट की समुचित व्यवस्था की जावे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

- प्राचार्य, अमर भारतीय महाविद्यालय, धनेली, ग्वालियर।
- सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



नाम : यूजीवरेडिई
दूरभाष : 0091-(0751) 2442461
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341) 100
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2210

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार श्री झुलेलाल साइंस कॉलेज (बी.जे.एस. कॉलेज), ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय को नवीन भवन में स्थानांतरित किया जावे।
2. परिणियम 28(17) की नियुक्तियों का अनुमोदन विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा किया जावे।
3. प्रयोगशालाओं को रु. 50,000/- के नवीन उपकरणों से सुसज्जित किया जावे।
4. नवीन पाठ्यक्रम के संदर्भ में रु. 50,000/- की पुस्तकें कय की जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री झुलेलाल साइंस कॉलेज (बी.जे.एस. कॉलेज), ग्वालियर
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्पता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmaili.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/२१११


दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार संत योगी मान सिंह शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।


निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. 14 शिक्षक 01 क्रीडाधिकारी, 01 लाइब्रेरियन जिनकी नियुक्ति परिणियम 28(17) के अन्तर्गत दिनांक 21.04.2015 को हो चुकी है। उनका अनुमोदन कार्यपरिषद से कराया जाये।
2. एन.एस.एस. इकाई की स्थापना कराई जाये।
3. मनोविज्ञान प्रयोगशाला में 05 एक्सपेरीमेन्ट क्रय किए जायें।
4. ई.टी. लैब के लिए 05 कम्प्यूटर तथा लाइसेन्स वाला सॉफ्टवेयर क्रय किया जाये।
5. 10,000/- मूल्य की किताबें आगामी सत्र में क्रय की जाये।
6. महाविद्यालय को आगामी सत्र 2015-16 से नये भवन जो कि निर्माणाधीन है, में स्थानांतरित किया जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, संत योगी मान सिंह शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2212

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार एम.पी.एस. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. 07 शिक्षको, का विश्वविद्यालय कार्यपरिषद से अनुमोदन 13 मार्च 2015 को किया गया है।
2. महाविद्यालय के पास 22 कम्प्यूटर, तीन मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है।
3. महाविद्यालय के पास 8050 किताबें है तथा 2210 टाइटिल्स है। 2014 तक के 16 जर्नल्स आते है।
4. महाविद्यालय द्वारा शेष स्टाफ हेतु चयन समिति 22 अप्रैल 2015 को कराई गई है। स्टाफ मौजूद था।
5. भूमि का स्थानांतरण महाविद्यालय के शासी निकाय के नाम किया जावे।
6. महाविद्यालय खेलकूद का मैदान पृथक से विकसित करें और खेलकूद का सामान कय करें।
7. मनोविज्ञान प्रयोगशाला को और विकसित करें।
8. महाविद्यालय में कैमरे लगाने हेतु कार्य चल रहा था।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एम.पी.एस. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2213

दिनांक 14-07-2015


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार सरदार ज्ञानसिंह मैमोरियल कॉलेज, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति विश्वविद्यालय के अधिनियम 28(17) के अन्तर्गत की जा चुकी है।
2. महाविद्यालय में 4317 पुस्तकें हैं।
3. ई.टी. लैब में मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एवं 13 कम्प्यूटर हैं।
4. महाविद्यालय लायब्रेरी में 12 जर्नल्स आते हैं। 2015 का एक ही जर्नल्स आया है। 2013 तक के ही जर्नल्स हैं।
5. पूर्व में लगाई गई शर्तों का पालन कर लिया गया है।
6. भूमि महाविद्यालय शासी निकाय के नाम की जावे।
7. महाविद्यालय में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हैं।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, सरदार ज्ञानसिंह मैमोरियल कॉलेज, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/१११४

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. पुस्तकालय में लेटेस्ट जर्नल्स (2015-16) कय कर रखें जावें।
2. क्रीडा हेतु 25,000/- की सामग्री कय की जावे।
3. महाविद्यालय में एन.एस.एस. की इकाई स्थापित की जावे।
4. परिनियम 27-28 का पालन सुनिश्चित किया जावे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न के किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2215

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार डी.व्ही.एस. महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. परिनियम 27-28 का पालन किया जाये।
2. खेल मैदान विकसित किया जाये।
3. स्पोर्ट्स ऑफिसर की परिनियम 28(17) के अन्तर्गत नियुक्ति की जाये।
4. प्रयोगशाला को विकसित किया जावे।

एन.सी.टी.ई. के मापदण्डों के अनुरूप 28(17) के अन्तर्गत भविष्य में शिक्षकों की संख्या पूर्ण की जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, डी.व्ही.एस. महाविद्यालय, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : सूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2216

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार गोपेश शिक्षा महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. परिनियम 28(17) की सभी नियुक्तियों का अनुमोदन विश्वविद्यालय कार्यपरिषद से कराया जावे।
2. नवीन पाठ्यक्रम के संदर्भ में रुपए 50,000/- की पुस्तकें कच की जावें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, गोपेश शिक्षा महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : सूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/१११७

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार आर्यन कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2014 का ऑडिट स्टेटमेंट विश्वविद्यालय में शीघ्र ही प्रस्तुत किया जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, आर्यन कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : सूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2218

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार आर.एस.सी. कॉलेज, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय शीघ्र ही परिसर में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये एवं महाविद्यालय वर्ष 2014 का ऑडिट स्टेटमेंट शीघ्र ही प्रस्तुत करें।
2. ई.टी. लैब को व्यवस्थित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, आर.एस.सी. कॉलेज, ग्वालियर।
3. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
4. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
6. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूजीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2219

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार के.एस. एज्युकेशन कॉलेज, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. महाविद्यालय के एन.सी.टी.ई. तथा हायर एज्युकेशन से अनुमति गुडा-गुडी का नाका, ग्वालियर के पते पर दी गई है। कॉलेज नवीन भवन में संचालित है। अतः पते को परिवर्तित करवाया जाये।
2. प्राचार्य तथा शिक्षकों का विधिवत अनुमोदन कार्यपरिषद से करवायें।
3. लाइब्रेरी में नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार रु. 50,000/- की पुस्तकें कय की जाये। लाइब्रेरी को व्यवस्थित करें।
4. कक्षाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवायें।
5. एन.सी.टी.ई. एक्ट 2014 तथा कॉलेज कोड 27-28 का पालन करें।
6. सायकोलॉजी लैब व कम्प्यूटर लैब और व्यवस्थित करें।
7. लाइब्रेरी का एक्सेसन रजिस्टर अपूर्ण पाया गया। यह विसंगति पिछले साल भी पाई गई थी।
8. लैब में उपकरणों पर कॉलेज की सील एवं स्टॉक एंट्री पूर्ण करें। यह पिछले साल की निरीक्षण रिपोर्ट में भी अंकित है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, के.एस. एज्युकेशन कॉलेज, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2220

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार भारतीय विद्या मंदिर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एज्युकेशन, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. प्राचार्य तथा सभी शिक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन कार्यपरिषद से करवायें।
2. कीडाधिकारी तथा लाइब्रेरियन की नियुक्ति नियमानुसार करें।
3. कक्षाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवायें।
4. लाइब्रेरी में नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार 50,000/- की पुस्तकें खरीदें व लाइब्रेरी को विधिवत सुसज्जित करें।
5. कॉलेज कोड 27-28 का पालन सुनिश्चित करें।
6. एन.सी.टी.ई. एक्ट 2014 का पालन करें।
7. कम्प्यूटर लैब पृथक करें एवं कम्प्यूटर व सायकोलॉजी लैब और सुसज्जित करें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, भारतीय विद्या मंदिर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एज्युकेशन, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2221

दिनांक 14-07-2015


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार टेक्सास एज्युकेशन कॉलेज, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. गत वर्ष की शर्तों का लगभग पालन कर लिया गया है।
2. भूमि/ भवन सम्बन्धी दस्तावेजों का किसी प्राधिकृत संस्था द्वारा परीक्षण कराया जाना उचित होगा।
3. परिचियम 27/28 के परिप्रेक्ष्य में सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं सामान्यतः संतोषजनक हैं।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, टेक्सास एज्युकेशन कॉलेज, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/१११२

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार विद्यावती कॉलेज, मुरार, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. गत वर्ष लगाई गई शर्तों का लगभग पालन कर लिया गया है।
2. भूमि/ भवन सम्बन्धी दस्तावेजों का किसी प्राधिकृत संस्था/ व्यक्ति द्वारा परीक्षण कराया जाना उचित होगा।
3. परिनियम 27/28 के परिप्रेक्ष्य में सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं सामान्यतः संतोषजनक हैं।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, विद्यावती कॉलेज, मुरार, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/9223

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार डी.पी.सिंह शिक्षा महाविद्यालय, बरौआ, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. गत वर्ष लगाई गई शर्तों का लगभग पालन कर लिया गया है।
2. भूमि/ भवन सम्बन्धी दस्तावेजों का किसी प्राधिकृत संस्था/ व्यक्ति द्वारा परीक्षण कराया जाना उचित होगा।
3. परिनियम 27/28 के परिप्रेक्ष्य में सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं सामान्यतः संतोषजनक हैं।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, डी.पी.सिंह शिक्षा महाविद्यालय, बरौआ, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



गाम : यूनाईसिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2224

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार जय श्री श्याम कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, बड़ोरा चीनोर, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय का भवन निर्माणाधीन है। इसलिये बी.एड. के माप दंड अनुसार सम्पूर्ण व्यवस्था पूर्ण निर्माण होने के पश्चात ही हो सकती है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, जय श्री श्याम कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, बड़ोरा चीनोर, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/१२२५

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार डी.ई.ई. एकेडमी, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. पुस्तकालय में स्थायी पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत की जाये।
2. पुस्तकालय में पुस्तकों की पर्याप्त व्यवस्था की जाये। कम्प्यूटर की व्यवस्था की जाये।
3. ई.टी., सायकोलॉजी लैब में उपकरणों की संख्या बढ़ाई जाये।
4. क्रीडाधिकारी की 28(17) में नियुक्ति की जाये।
5. खेल का मैदान विकसित किया जाये।
6. कम्प्यूटर हेतु लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्रय किया जाये।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, डी.ई.ई. एकेडमी, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाये जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2226

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार जे.बी. इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एज्युकेशन, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. लायब्रेरियन, स्पोर्ट ऑफीसर, क्राफ्ट टीचर की नियुक्ति 28(17) परिनियम के अन्तर्गत कराई जाये।
2. मनोविज्ञान प्रयोगशाला में उपकरणों की संख्या नये पाठ्यक्रम के अनुसार बढ़ाई जाये।
3. पुस्तकालय में नये पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों की संख्या बढ़ाई जाये।
4. पुस्तकालय का डिजीटल कम्प्यूटाइजेशन किया जाये।
5. खेल मैदान विकसित किया जाये।
6. कम्प्यूटर हेतु लाइसेंस सॉफ्टवेयर कय किया जाये।
7. नये नियुक्त प्राचार्य एवं शिक्षकों के वेतन का भुगतान नकद न किया जाकर बैंक के द्वारा किया जाये।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, जे.बी. इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एज्युकेशन, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ ११११

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार एच.आई.सी.टी. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय के पास अपना भवन है।
2. शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियाँ 28(17) के तहत कराली गई है।
3. अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
4. गत वर्ष की शर्तों को 75 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एच.आई.सी.टी. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2228

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. महाविद्यालय में प्राचार्य, शैक्षणिक स्टॉफ, क्रीडा अधिकारी एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति 28(17) के अनुसार कर ली गयी है।
2. अन्य पूर्व में लगायी गयी शर्तें पूरी कर ली गयी है।
3. पुस्तकालय में लेटेस्ट जर्नल्स (2015) क्रय कर रखे जा सकते हैं।
4. प्रयोगशालाओं को और अधिक उपकरणों से सुसज्जित करना चाहिये।
5. श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ एज्युकेशन से इस कॉलेज की दूरी लगभग 100 मीटर है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : रूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2229

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार ऋषिकुल ग्रुप ऑफ बी.एड. कॉलेज, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय द्वारा परिनियम 28(17) के तहत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्तियां करा ली गई है। परंतु उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है।
2. सुविधाओं में मल्टी-परपस हॉल नहीं है, तथा पुस्तकों का भी अभाव है।
3. प्रयोगशालाओं में भी सामान अपूर्ण है।
4. लाइब्रेरियन, स्पोर्ट ऑफीसर की नियुक्तियां भी करा ली गई है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, ऋषिकुल ग्रुप ऑफ बी.एड. कॉलेज, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाम : यूजीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442811
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2230

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार माधव शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियां परिनियम 28(17) में कर ली गई है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, माधव शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

45

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2231

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार संस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति परिनियमानुसार हो चुकी है, उन्हें बैंक के माध्यम से वेतन दिया जावे।
2. पुस्तकालय में पुस्तकें क्रय नहीं की गयी है। कुल 3045 पुस्तकें हैं। प्रतिवर्ष 100 पुस्तकें अवश्य खरीदें।
3. पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण करें।
4. प्रयोगशालाएं संतोषप्रद हैं।
5. महाविद्यालय में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा उचित है।
6. क्रीडा प्रांगण विकसित करें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, संस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2232

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार ग्वालियर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, बरूआ, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय ने परिनियम 28(17) के अन्तर्गत स्टाॅफ नियुक्त कर लिया है, वह उन्हें बैंक के माध्यम से भुगतान करें।
2. पुस्तकालय में इस वर्ष 50 पुस्तकें क्रय की है। महाविद्यालय 100 शीर्षक क्रय करें।
3. पुस्तकालय का कम्प्यूटराईजेशन प्रारंभ की।
4. प्रयोगशालाएं संतोषप्रद हैं।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, ग्वालियर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, बरूआ, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

42

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2233

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार आदित्य कॉलेज ऑफ टेक्नीकल साइंस एण्ड एज्युकेशन, बरूआ, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय ने परिनियम 28(17) के अन्तर्गत शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त कर लिया है। भवन बन कर उसमें प्रयोगशालाएँ आदि संतोषप्रद है।
2. शिक्षकों का वेतन बैं के माध्यम से देवें।
3. इस सत्र में 300 पुस्तकें और क्रय करें।
4. पुस्तकालय का कम्प्यूटराईजेशन करावें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, आदित्य कॉलेज ऑफ टेक्नीकल साइंस एण्ड एज्युकेशन, बरूआ, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2234

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार श्री व्यंकटेश एज्युकेशन एकेडमी, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. प्राचार्य तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ की कॉलेज प्रबंध समिति द्वारा मीटिंग में नियुक्ति कर उनके नियुक्ति आदेश जारी करें तथा कार्यपरिषद से उसका अनुमोदन करवायें।
2. स्पॉर्ट ऑफिसर तथा लायब्रेरियन आदि की नियमानुसार नियुक्ति करें।
3. सभी शिक्षकों तथा कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से भुगतान करें।
4. पुस्तकालय में 3128 पुस्तकें हैं। रु. 40,000/- की पुस्तकें क्रय करें।
5. सायकोलॉजी लैब तथा साइंस लैब में सभी उपकरणों पर कॉलेज का नाम लिखवायें एवं बी.एड. सिलेबस के अनुसार समस्त उपकरण क्रय करें।
6. सभी कक्षाओं, लैब आदि में पंखे लगवाये जायें।
7. लैब, ई.टी. लैब आदि के स्टॉक रजिस्टर उचित प्रकार से मेनटेन किये जायें।
8. भवन में जेनरेटर की समुचित व्यवस्था करें।
9. कक्षाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवायें।
10. मल्टी परपस हॉल के फर्नीचर की व्यवस्था करें।
11. महाविद्यालय में हैक्स बैनर के स्थान पर स्थाई बोर्ड पर नाम लिखें।
12. महाविद्यालय की वेबसाइट बनवाकर उसमें समस्त स्टाफ एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर की जानकारी डालें।
13. एन.सी.टी.ई. एक्ट 2014 की जानकारी का पालन करें।
14. कॉलेज कोड 27-28 का पालन करें।
15. खेल का मैदान विकसित करें।
16. उच्च शिक्षा विभाग की कंडीशन जिसमें भूमि/ भवन क्रय विक्रय हेतु रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाओं द्वारा जारी धारा 21 की अनुमति का उल्लेख है, पूर्ण करें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री व्यंकटेश एज्युकेशन एकेडमी, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठातः

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/9235

दिनांक 14-07-2015


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार बीजो कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय में 28(17) के अन्तर्गत नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की कॉलेज कमेटी ने नियुक्त कर कार्यपरिषद से अनुमोदन करवाये।
2. एन.सी.टी.ई. एक्ट 2014 के अनुसार सम्पूर्ण स्टाफ नियुक्त करें एवं स्टाफ को बैंक के माध्यम से भुगतान करें।
3. पुस्तकालय में 3007 पुस्तकों से 785 पुस्तकें बापस हो गई है अतः कमी पूर्ण कर 50,000/- की नई पुस्तकें खरीदें।
4. सम्पूर्ण भवन में बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये आवंटित हिस्सा स्पष्ट रूप से बतायें तथा इस बात का वचन पत्र दें कि इस हिस्से में अन्य कोई पाठ्यक्रम संचालित नहीं होता है।
5. साइंस लैब, सायकोलॉजी लैब एवं अन्य सभी स्थलों पर उपकरणों व फर्नीचर पर महाविद्यालय का नाम लिखवायें।
6. स्टोक रजिस्टर का उचित प्रकार से संचारण करें।
7. भवन के बाहर कॉलेज का नाम फ्लैक्स बैनर के स्थान पर स्थाई बोर्ड पर लिखा जावे।
8. महाविद्यालय की वेबसाइट पर अधोसंरचना व स्टाफ की जानकारी डालें।
9. इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक करें।
10. कॉलेज कोड 27-28 का पूर्ण पालन करें।
11. सभी लैब में बिजली कनेक्शन की उचित व्यवस्था करें तथा उनकी स्थिति सुधारें।
12. एन.सी.टी.ई. के आदेश के अनुरूप डब्ल्यू.आर.सी. में प्रकरण पर लिये निर्णय के अनुसार कार्यवाही करें।
13. फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, बीजो कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2236

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार जैन कॉलेज, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. All facilities are up to satisfaction.

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, जैन कॉलेज, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jurg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2237

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार भगवती इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. The laboratories are ill equipped and one in bad condition. No internet connection shown. No journals are substiubed for this academic year No CCTV cameras in several rooms.

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, भगवती इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूजीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2238

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार सुभाष चंद्र बोस शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. The Library is to be updated with journals.
2. Sport ground to be developed.

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, सुभाष चंद्र बोस शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाग : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/9239

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार अंश कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

समिति ने अपना प्रतिवेदन बिन्दु क्रमांक 01 से 15 तक में प्रस्तुत किया है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, अंश कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : सूनीवर्सिदी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jur@jgw@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2240

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार वन्दे मातरम् कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. इस महाविद्यालय का भवन पुराना है जिस पर लोकायुक्त में प्रकरण पंजीबद्ध है।
2. शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत कराली गई है।
3. पूर्व में जो शर्तें लगाई गई हैं, उनकी पूर्ति कर ली गई है। ऐसा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, 11 बीघा 4 बिस्वा जमीन खरीदी गई है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, वन्दे मातरम् कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : सूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2241

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार केयर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, कुलैथ, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. The laboratory are poorly equipped. There is no internet connection and there is no CCTV camaras. There is no methodology laboratory. Sport and music set up are shown in single laboratory. No sports ground is visible to committee. Appointment under 28(17) are made relevantty. The committee recommends conditional affiliation subject to approval of standing committee and fulfillment of all lacunace in a time frame.

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, केयर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, कुलैथ, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : सूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2242

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार एस.के.एस. कॉलेज, बरौआ, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. Appointments under 28(17) incomplete. No sports officer and librarian under 28(17). There is no CCTV cameras in the college. Generator is not connected to all rooms. There is no internet connection. All laboratories are ill equipped. Electricity connection was not there is several rooms. It appeared that the college is non-functional. The committee recommends conditional affiliation subject the fulfillment of the above lacunae in a time frame.

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एस.के.एस. कॉलेज, बरौआ, ग्वालियर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता

महाविद्यालयीन विकास परिषद्



जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाग : सूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2243

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार श्री केशव सिंह एज्युकेशन कॉलेज, मौ, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. महाविद्यालय द्वारा 28(17) के अंतर्गत शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त किया गया।
2. पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध है।
3. परिनियम 27,28 का पालन किया जा रहा है।
4. नवीन पाठ्यक्रम अनुसार जर्नल्स एवं कुछ और किताबें खरीदने के लिए अनुशंसा करती है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री केशव सिंह एज्युकेशन कॉलेज, मौ भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



गाय : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2244

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार सन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एज्युकेशन, लहार, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


The college has its own building with sufficient infrastructure , Labs, Library and sport equipment are moderate by equipped class rooms are sufficient college has appointed principal and faculty in 28(17). College has facility of Generator, but do not have CCTV Cameras, and mail facility.

The college will procure CCTV camera, e-mail facility and develop sport ground. Also the books in library be purchased as per new syllabus.


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, सन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एज्युकेशन, लहार, भिण्ड ।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाँव : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2245

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार श्री शांति किशोर शिक्षा महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. The college will procured. CCTV cameras, e-mail facility and develop sport ground. New editions of books as per revised courses be purchased.

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री शांति किशोर शिक्षा महाविद्यालय, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



प्राग : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2246

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार ओएसिस इम्पीरियल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, गोहद, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. More faculty to be appointed, CCTV camera facility be precured, e-mail facility be made available as an early date in the college. Sport ground to be developed soon for the students.

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, ओएसिस इम्पीरियल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, गोहद, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित शिष्य पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे शिष्या हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442800
(कान्ठलक)
2442482 (विभाग)
फैक्स : (0091)-0751-2441700
E-mail :
jureg@jyotis.edu
Website :
http://www.jyoti.edu

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ.सम्बद्धता/2015/2247

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, लहार, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

College has its own building with adequate infrastructure Laboratory. Library are well equipped. Sport equipments are adequate. College has conducted the appointment of Principal and faculties as per 28(7). College has CCTV camera network, e-mail facility and generator for power backup. College has accredited by NAAC with B-grade.

आदेशानुसार
3mm/3
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, लहार, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

62

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाये जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2248

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार कमल सिंह कॉलेज, मौ, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

The college has its own building with adequate infrastructure. Some part of the building is under construction. Labs, class rooms and library has moderate infrastructure. Books are sufficient but needs more as per revised cameras, the college has appointed principal, faculty, sport officer, Librarian as per 28(17). College has generator, but do not have facility of CCTV cameras and e-mail facility.

The college shall develop and procure CCTV camera, e-mail facility and develop sport ground. At an early date. Also purchase books as per new revised courses.

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, कमल सिंह कॉलेज, मौ भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
मह.विद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

63

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाथा : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442462
(कार्यालय)
2442462 (निवासी)
फैक्स : (0091-0751-2341111)
E-mail :
juni@jwlc@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2249

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार के.एस. शिक्षा महाविद्यालय, मौ, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. गत वर्ष की शर्तों का लगभग पालन कर लिया गया है।
2. भूमि/ भवन सम्बंधी दस्तावेजों का किसी प्राधिकृत संस्था/व्यक्ति से परीक्षण कराया जाना उचित होगा
3. परिनिचय 27/28 के परिप्रेक्ष्य में सुविधाएं एवं व्यवस्थाएँ सामान्यतः सन्तोषजनक हैं।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, के.एस. शिक्षा महाविद्यालय, मौ, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-धबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्पता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 9250

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार जगदगुरु शंकराचार्य शिक्षा महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. CCTV cameras and e-mail facility is not available. The college soon develop sport ground precured the CCTV camaras facility and purchase latest editions of books as per revised courses of B.ed. programme.

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, जगदगुरु शंकराचार्य शिक्षा महाविद्यालय, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाय : यूजीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jurg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2251

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार उदय एज्युकेशन कॉलेज, पचेरा, गोरमी, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. परिनियम 28(17) के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्तियां की जा चुकी है।
2. पचास हजार से अधिक की पुस्तकें कय की गई है।
3. लाइब्रेरियन की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत की गई है।
4. परिनियम 27,28 का पालन किया जा रहा है।
5. महाविद्यालय द्वारा पुस्तकें एवं उपकरण नवीन पाठ्यक्रमानुसार कय किये जायें।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, उदय एज्युकेशन कॉलेज, पचेरा, गोरमी, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

66

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341) 68
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu'

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2252

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार अपेक्स महाविद्यालय, जसरथपुरा, गोहद चौराहा, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. 28(17) के अन्तर्गत नियुक्ति की जा चुकी है।
2. पुस्तकों को कय किया जा चुका है।
3. लाइब्रेरियन की नियुक्ति 28(17) में की जा चुकी है।
4. 25,000/- रुपये की पुस्तकें कय किये जायें।
5. 25,000/- रुपये के उपकरण कय किये जायें

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, अपेक्स महाविद्यालय, जसरथपुरा, गोहद चौराहा, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-0.3, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



भाषा : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442611
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2253


दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार पातीराम शिवहरे महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. जमीन ट्रस्ट के नाम पर है।
2. महाविद्यालय बैंक द्वारा प्रमाणित है।
3. शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक स्टाफ को बैंक के माध्यम से पेमेंट किया जाना है।
4. महाविद्यालय में सभी शैक्षणिक स्टाफ, प्राचार्य तथा स्पोर्ट ऑफीसर, लाइब्रेरियन की नियुक्तियां 28(17) के अन्तर्गत की गयी हैं।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, पातीराम शिवहरे महाविद्यालय, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चबला संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

68

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



पता : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 24428-11
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341788
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2254

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार रोशनलाल दैपुरिया महाविद्यालय, अटेर, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय की जमीन समिति के नाम पर है।
2. प्राचार्य, शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियां 28(17) के अन्तर्गत की जा चुकी हैं।
3. पुस्तकालय अध्यक्ष, खेल अधिकारी तथा अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत होनी है।
4. पुस्तकालय व्यवस्थित होना है।
5. नवनियुक्त स्टाफ की सैलरी बैंक के माध्यम से दी जानी है।
6. खेल का मैदान विकसित होना है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, रोशनलाल दैपुरिया महाविद्यालय, अटेर, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

69

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



याग : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442811
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jures@gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2255


दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार मृत्युंजय महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय की जमीन समिति के नाम पर है।
2. महाविद्यालय द्वारा 28(17) के अन्तर्गत प्राचार्य एवं 4 शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं। शेष शिक्षक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत की जाना शेष है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, मृत्युंजय महाविद्यालय, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

70

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाथा : यूजीवसिंघी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442601
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341788
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2256

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार माताप्रसाद तिवारी कॉलेज, गोरमी, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. सत्र प्रारंभ होने से पहले 28/17 के अन्तर्गत नियुक्ति जल्द की जायें। जिसमें प्राचार्य एवं सभी शिक्षक, कीडाधिकारी एवं पुस्तकालय अध्यक्ष मय क्राफ्ट शिक्षक के।
2. मनोविज्ञान एवं भाषा प्रयोगशाला मय उपकरण सुसज्जित की जाए।
3. शासी निकाय का गठन जल्द हो।
4. खेल मैदान विकसित की जाए।
5. मानक स्तर की 100 शीर्षक पाठ्यक्रमानुसार पुस्तकें क्रय की जाए।
6. परिनियम 27,28 का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जावे।
7. सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाए।

आदेशानुसार
अभिषेक
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, माताप्रसाद तिवारी कॉलेज, गोरमी, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चञ्चल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

71

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाथा : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442811
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091)-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/२२९७

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार रविशंकर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, लहार, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. भूमि/ भवन सम्बंधी दस्तावेजों का परीक्षण किसी प्राधिकृत संस्था/ व्यक्ति द्वारा कराया जाना उचित होगा।
2. परिनिधिम 27/28 के परिप्रेक्ष्य में सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं सामान्यतः संतोषजनक हैं।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, रविशंकर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, लहार, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

72

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गारा : रूनीतर्सिरी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jurg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2258

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार विवेकानंद महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य, शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत की गई है। परंतु पुस्तकालय अध्यक्ष तथा खेल अधिकारी की नियुक्ति भी 28(17) में की जानी चाहिये।
2. प्रयोगशालाओं को व्यवस्थित किया जाना है।
3. पुस्तकालय के लिए रुपए 10,000/- की पुस्तकें क्रय किया जाना उचित होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, विवेकानंद महाविद्यालय, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2259


दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार कामाख्या शिक्षा बी.एड. कॉलेज, मौ, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य, शैक्षणिक स्टाफ, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा खेल अधिकारी की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत की है।
2. खेल के मैदान को विकसित करने की आवश्यकता है।
3. सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जाने होंगे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, कामाख्या शिक्षा बी.एड. कॉलेज, मौ, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गावा : यूजीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091)-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2260

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार एन.आर. इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय के पास स्वयं का भवन है।
2. परिनियम 28(17) के नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति की है।
3. महाविद्यालय ने अभी सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं लगाये हैं।
4. उपकरण, लैब, पुस्तकें पर्याप्त हैं।
5. अभी खेल का मैदान विकसित नहीं है।
6. लैबों को सुसज्जित और किया जाना चाहिए
7. लाइब्रेरी में मानक 150 पुस्तकें कम से कम प्रतिवर्ष खरीदने की आवश्यकता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एन.आर. इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्



जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2261

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार एस.पी.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मेहगांव, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. परिनियम 28(17) के अंतर्गत शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्त की गई है।
2. पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध हैं।
3. परिनियम 27,28 का पालन किया जा रहा है।
4. महाविद्यालय में कीडा सामग्री एवं कीडा मैदान उपलब्ध है।
5. महाविद्यालय नवीन पाठ्यक्रम अनुसार कुछ और व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करे, जैसे जर्नल्स, किताबें आदि।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एस.पी.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मेहगांव, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



याग : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 9262

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार शिव शिक्षा महाविद्यालय, सेमरपुरा, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय द्वारा परिनियम 28(17) के अंतर्गत शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की गई है।
2. परिनियम 27,28 का पालन किया गया है।
3. पुस्तकालय में पुस्तकें एवं क्रीडा मैदान उपलब्ध है।
4. शेष स्टाफ की नियुक्ति नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार तथा कुछ नयी किताबें एवं जर्नल्स खरीदें जाने हेतु व्यवस्थाएं कराये जाने की अनुशंसा करती है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, शिव शिक्षा महाविद्यालय, सेमरपुरा, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

77

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाग : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jw@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2263

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार विद्यावती महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय की जमीन ट्रस्ट के नाम दर्ज है।
2. महाविद्यालय ने 28(17) के अनुसार प्राचार्य, शैक्षणिक स्टाफ, कीडा अधिकारी एवं लाइब्रेरियन की नियुक्तियां कर ली हैं जिनमें से दो शिक्षकों एवं क्राफ्ट टीचर को ज्वाइन करना बाकी है।
3. महाविद्यालय में खेल परिसर, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला को विकसित किया है।
4. पुस्तकालय में कुल 4974 किताबें, 1141 टाइटल एवं लगभग 10 जर्नल्स 2013-14 के उपलब्ध है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, विद्यावती महाविद्यालय, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आधेष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाथा : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jurg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2264

दिनांक : 14-म-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार रामस्वरूप शिक्षा महाविद्यालय, मुडियाखेडा, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. शैक्षणिक स्टाफ, क्रीडा अधिकारी एवं लाइब्रेरियन की नियुक्तियां 28(17) से कर ली गई है।
2. पुस्तकालय में कुल, 660 टाइटल, 3894 किताबें एवं 2013 तक के 05 जर्नल्स उपलब्ध है।
3. खेल का मैदान विकसित किया गया है। महाविद्यालय की जमीन फाउंडेशन सोसायटी के नाम पर है।
4. साइकोलॉजी लैब को विकसित करने की आवश्यकता है।
5. जेनरेटर, सी.सी.टी.वी. कैमरे (05), कम्प्यूटर (15), इंटरनेट, एल.सी.डी. सुविधा उपलब्ध है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, रामस्वरूप शिक्षा महाविद्यालय, मुडियाखेडा, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



गांग : यूजीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2265

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार नीलकंठ शिक्षा महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय में दिनांक 25.08.2013 को 28(17) में स्टॉफ की नियुक्ति हो गयी थी।
2. पुस्तकालय में एक्सेसन रजिस्टर में जर्नल्स की प्रविष्टी भी की गयी है जो त्रुटिपूर्ण है।
3. महाविद्यालय भविष्य में जर्नल्स की प्रविष्टी पृथक से करें।
4. पुस्तकों के एक्सेसन नम्बर ठीक प्रकार से रखें।
5. नेट की सुविधा लैब में दें।
6. लाइब्रेरी का कम्प्यूटराइजेशन करें

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, नीलकंठ शिक्षा महाविद्यालय, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्



जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2266

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार स्वामी विवेकानन्द कॉलेज, डिडी, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय का स्वयं का भवन है।
2. महाविद्यालय ने परिनियम 28(17) के तहत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करा ली गई है।
3. लैब एवं उपकरण उपलब्ध है।
4. पुस्तकें भी पुस्तकालय में हैं।
5. पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति 28(17) के तहत है।
6. कीडाधिकारी की नियुक्ति भी करा ली गई है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, स्वामी विवेकानन्द कॉलेज, डिडी, भिण्ड ।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्



जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



भाषा : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341708
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2267

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार चौधरी यदुनाथ सिंह शिक्षा महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय ने शिक्षकों की नियुक्ति 28(17) में करा ली है।
2. पुस्तकालयाध्यक्ष एवं स्पोर्ट्स ऑफिसर की नियुक्ति है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, चौधरी यदुनाथ सिंह शिक्षा महाविद्यालय, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्



जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाग : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-234176H
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2268

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार चौधरी दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय ने परिनियम 28(17) के तहत शिक्षकों की नियुक्ति करा ली है।
2. स्पोर्ट ऑफिसर एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की भी नियुक्ति करा ली है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, चौधरी दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अग पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2269

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार अशोक कुसुम कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय ने परिनियम 28(17) के अन्तर्गत 1+7 स्टाफ की नियुक्ति कर ली है।
2. भवन 30 वर्ष की लीज की भूमि पर है।
3. पुस्तकालय में विगत निरीक्षण के पश्चात 102 पुस्तकें कय की है।
4. प्रयोगशालाएं सामान्य तथा संतोषप्रद है।
5. महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति भी विश्वविद्यालय के माध्यम से करें।
6. पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, अशोक कुसुम कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गावा : सूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2270

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार सिद्धी विनायक कॉलेज, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय का भवन तैयार है।
2. परिनियम 28(17) की नियुक्ति 25.05.2013 को हुई थी। अतः महाविद्यालय आगामी सत्र प्रारंभ होने के पूर्व जून 2015 में पुनः नियुक्ति अवश्य कर लें।
3. पुस्तकालय में 100 शीर्षक कय नहीं किये गये।
4. महाविद्यालय पुस्तकों व जर्नल्स का कय नियमित रूप से करता रहे
5. पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण करें।
6. लैब में इन्टरनेट सुविधा दें।
7. अध्ययन की नियमितता की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, सिद्धी विनायक कॉलेज, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठातः

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



पता : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2271

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार पातीराम शिवहरे इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एज्युकेशन, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. प्रयोगशालाओं को और विकसित करें।
2. कम्प्यूटर लैब में 05 कम्प्यूटर खरीदे जाने की शर्त समिति ने लगाई थी लेकिन नहीं खरीदे गये, तत्काल खरीदे जो कम्प्यूटर लैब में है वे पुराने हैं।
3. शिक्षकों को वेतन चैक के माध्यम से प्रदान करें, एवं प्रत्येक महीने उस रिपोर्ट को विश्वविद्यालय भेजें।
4. ग्रन्थालय में प्रत्येक वर्ष कम से कम 100 शीर्षक नये खरीदें।
5. खेल का मैदान विकसित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, पातीराम शिवहरे इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एज्युकेशन, भिण्ड।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गण : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/

2272

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार युवा व्यवसायिक शिक्षण महाविद्यालय, अशोकनगर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य, शैक्षणिक स्टाफ, पुस्तकालय अध्यक्ष तथा स्पोर्ट ऑफिसर की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत की गयी है।
2. महाविद्यालय द्वारा 27,28 का पूर्ण पालन किया जाना चाहिये।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, युवा व्यवसायिक शिक्षण महाविद्यालय, अशोकनगर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2273

दिनांक 14-07-2015


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार एस.पी.एस. एकेडमी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, अशोकनगर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय में 28(17) के अन्तर्गत नियुक्त शैक्षणिक, स्पोर्ट ऑफिसर तथा पुस्तकालय अध्यक्ष उपस्थित थे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एस.पी.एस. एकेडमी, अशोकनगर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूजीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2274

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार सोनाली कॉलेज, गुना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. परिनियम 28/17 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा प्राचार्य की नियुक्ति दिनांक 01.08.2011 को की गई है।
2. विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2015 को सहायक प्राध्यापकों (08) की नियुक्ति की गई है।
3. महाविद्यालय द्वारा पूर्व समिति द्वारा लगायी गई पुस्तकालय हेतु नवीन पुस्तकों एवं उपकरणों का क्रय किया गया।
4. महाविद्यालय में अशैक्षणिक स्टाफ पर्याप्त है।
5. महाविद्यालय में खेल परिसर एवं सामग्री उपलब्ध है।
6. 50,000/- रुपये की पुस्तकें, एवं 50,000/- रुपये की खेल सामग्री एवं 1,00,000/- रुपये लैब उपकरण (विज्ञान, मनोविज्ञान, क्राफ्ट एवं कम्प्यूटर) क्रय किये जावे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, सोनाली कॉलेज, गुना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूवीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2275

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार आई.आई.टी.एस. कॉलेज, गुना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. परिनियम 28/17 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा प्राचार्य की नियुक्ति दिनांक 21.04.2015 को की गई है।
2. विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 21.04.2015 को अकादमिक स्टॉफ (07) की नियुक्तियां की गई है।
3. अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियां प्रबंध समिति द्वारा की गयी है।
4. महाविद्यालय की कम्प्यूटर लैब, स्पोर्ट एवं पुस्तकालय की स्थितियां अत्यन्त असंतोषजनक थी।
5. खेल मैदान भी पूर्णरूप से अविकसित था।
6. विज्ञान प्रयोगशाला के रुपये 1,00,000/- उपकरण कय किये जावें।
7. कम्प्यूटर प्रयोगशाला के लिये रुपये 50,000/- के उपकरण एवं सॉफ्टवेयर कय किये जावें।
8. मनोविज्ञान एवं क्राफ्ट के लिये रुपये 50,000/- के उपकरण एवं सामग्री कय किये जावें।
9. रुपये 50,000/- की खेल सामग्री कय की जावें एवं खेल मैदान शीघ्र विकसित किया जावें।
10. शासकीय निकाय की बैठक सुनिश्चित की जावें।
11. एन.एस.एस. को विकसित किया जावें।

उपर्युक्त को अगले तीन माह में पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित किया जावे।

आदेशानुसार
3mmh
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, आई.आई.टी.एस. कॉलेज, गुना ।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल ।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर ।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



पता : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2276

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार गांधी वोक्शनल बी.एड. कॉलेज, गुना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. गत वर्ष की पूर्ति के सम्बन्ध में महाविद्यालय के प्राचार्य का पत्र संलग्न है।
2. महाविद्यालय द्वारा मुख्य शर्तों का पालन (प्राचार्य, शिक्षकों की नियुक्ति) किया गया है।
3. महाविद्यालय में गैर शैक्षणिक स्टाफ की भी नियुक्तियां प्रबंध समिति में माध्यम से की हैं जो कि परिनियम 28 के अन्तर्गत उसे करना है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, गांधी वोक्शनल बी.एड. कॉलेज, गुना
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2277

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार रामकृष्ण शिक्षा महाविद्यालय, गुना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. गत वर्ष की शर्तों की पूर्ति महाविद्यालय द्वारा की गई है।
2. महाविद्यालय को बी.एड. के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाना है।
3. पाठ्यक्रम के अनुसार नवीन पुस्तकों का भी क्रय किया जाना है।
4. विभिन्न प्रयोगशालाओं को प्रचुर मात्रा में उपकरणों से सुसज्जित किया जाये।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, रामकृष्ण शिक्षा महाविद्यालय, गुना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwajji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2278

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार हिन्दुपत इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, राधौगढ, गुना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय स्वयं की जमीन पर स्थापित है। भवन में पर्याप्त सुविधाए हैं।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य, शिक्षक, स्पोर्ट टीचर, संगीत एवं क्राफ्ट आदि की नियुक्तियां विश्वविद्यालय अधिनियम 28(17) के तहत कर ली गई है। निरीक्षण के समय संगीत शिक्षक अनुपस्थित थी।
3. साइकलॉजी लैब में पर्याप्त उपकरण नहीं थे।
4. महाविद्यालय की लायब्रेरी में 2397 टाइटल की किताबें थी। कुल पुस्तकों की संख्या 3656 थी। लायब्रेरी में 13 जनरल्स आते हैं।
5. महाविद्यालय में 23 कम्प्यूटर हैं, तथा 3 प्रिन्टर हैं तथा तीन मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हैं।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, हिन्दुपत इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, राधौगढ, गुना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2279

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय में अग्निरोधी उपकरण उपलब्ध है- संख्या 2 जिसे बढ़ाया जावे।
2. गत वर्ष की निरीक्षण समिति द्वारा लगाई गई शर्तों की पूर्ति के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को शपथ पत्र देकर सूचित किया है कि शर्तों की पूर्ति की गई है। शपथ-पत्र की फोटो प्रति संलग्न है।
3. भवन का निरीक्षण करने पर भवन में जो दरारें आ गई हैं प्रभारी प्राचार्य महोदय ने अवगत कराया कि यह भूकम्प के कारण आई है, उनकी मरम्मत सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कराई जावे एवं भवन का विस्तार भी किया जावे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुना
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2280

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार स्वामी विवेकानन्द कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, शिवपुरी को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

- परिनियम 28/17 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा प्राचार्य की नियुक्ति दिनांक 09.02.2011 को की गई है।
- विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 11.06.2014 को अकादमिक स्टाफ (10) की नियुक्ति की गई है। अर्थात् निरीक्षण के दरम्यान कुछ स्टाफ अनुपस्थित पाये गये।
- अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियां प्रबंध समिति द्वारा की गयी है।
- महाविद्यालय की कम्प्यूटर लैब, स्पोर्ट एवं पुस्तकालय की स्थितियां अत्यन्त असंतोषजनक थी।
- खेल मैदान भी पूर्णरूप से अविकसित था।
- विज्ञान प्रयोगशाला के रुपये 1,00,000/- के उपकरण क्रय किये जावे।
- कम्प्यूटर प्रयोगशाला के लिये रुपये 50,000/- के उपकरण एवं सॉफ्टवेयर कय किये जावे।
- मनोविज्ञान एवं काफ्ट के लिए रुपये 50,000/- के उपकरण एवं सामग्री कय किये जावे।
- रुपये 50,000/- की खेल सामग्री कय किये जावे एवं खेल मैदान शीघ्र विकसित किया जावे।
- शासकीय निकाय की बैठकें सुनिश्चित की जावे।
- एन.एस.एस को विकसित किया जावे।

उपर्युक्त को अगले तीन माह में पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित किया जावे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

- प्राचार्य, स्वामी विवेकानन्द कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, शिवपुरी।
- सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

95

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : सूनीयर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2281

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार केशव महाविद्यालय, शिवपुरी को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. बिन्दु क्रमांक 2 से 11 तक की सुविधाओं का समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया।
2. स्टॉफ की नियुक्तियां परिनियम 28(17) में करा ली गई है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, केशव महाविद्यालय, शिवपुरी।
3. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
4. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
6. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : सूनीवसिंटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2282

दिनांक 14-07-2015


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार मैट कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, शिवपुरी को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. बिन्दु क्रमांक 1 से 11 तक की सुविधाओं का भौतिक सत्यापन समिति द्वारा किया गया।
2. महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियां करा ली गई है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, मैट कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, शिवपुरी।
3. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
4. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
6. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0751)-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2283

दिनांक 14-07-2015


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार एस.पी.एस. एकेडमी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, शिवपुरी को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. बिन्दु क्रमांक 2 से 11 तक की भौतिक सुविधाओं का सत्यापन समिति द्वारा किया गया।
2. महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियां परिनियम 28(17) में कराई गई है। शिक्षकों में चार शिक्षक वर्ष 2015 में तथा तीन शिक्षक वर्ष 2008 में नियुक्त किये हैं।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एस.पी.एस. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, शिवपुरी।
3. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
4. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
6. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2284

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार एम.एस.पी.एम. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, करैरा, शिवपुरी को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


- परिनियम 27,28 के परिपालन के प्रयास के परिणामस्वरूप शनैः शनैः सुधार हो रहा है।
- महाविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दे दी गई है कि पुस्तकालय की उपेक्षा गंभीर विषय है इस और तुरंत ध्यान दिया जाए और पर्याप्त नई पुस्तकें कय की जाए।
- खेल के उपकरण कय कर लिए गए हैं।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

- प्राचार्य, एम.एस.पी.एम. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, करैरा, शिवपुरी।
- सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2285

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार सनराइज कॉलेज, सतनबाडा, शिवपुरी को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. भवन निर्माणाधीन है। पहली मंजिल की छत का निर्माण चल रहा है।
2. फर्नीचर और पुस्तकें भवन से बाहर निकाल दिये गये हैं। कहीं अन्य रखी गई है।
3. शिक्षकों की नियुक्ति 28(17) में की गई है।
4. सम्बद्धता के दस्तावेज नहीं है। विगत वर्ष की सम्बद्धता की रिपोर्ट नहीं है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, सनराइज कॉलेज, सतनबाडा, शिवपुरी।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2286

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार रतन शिक्षा महाविद्यालय, करैरा, शिवपुरी को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. 28(17) में स्टाफ नियुक्त पाया गया, सभी स्टाफ उपस्थित था। मनोविज्ञान प्रयोगशाला में 3 इंस्ट्रुमेंट पाए गए तथा सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं लगे हैं। पुस्तकालय में 2733 पुस्तकें हैं तथा जर्नल्स 10 हैं।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, रतन शिक्षा महाविद्यालय, करैरा, शिवपुरी।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2287

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार जे.एम. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, श्योपुर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. विश्वविद्यालय परिनियम 28/17 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं 06 सहायक प्राध्यापकों, लायब्रेरियन तथा स्पोर्ट ऑफीसर की नियुक्तियों जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा 06.08.2013 को की गई है जिसकी वैधता दो वर्ष तक मान्य है।
2. पूर्व में प्रस्तावित शर्तों का पालन किया गया है।
3. बी.एड. पाठ्यक्रम अनुसार 75,000/- रुपये की पुस्तकें एवं जर्नल्स कय किया जाये।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, जे.एम. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, श्योपुर।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2288

दिनांक : 14-07-2015


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार श्योपुर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, श्योपुर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

- परिनियम 28/17 के अन्तर्गत 07 सहायक प्राध्यापकों, 1 लायब्रेरियन की नियुक्ति जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा 15.06.2014 को की गई है जिसकी वैधता दो वर्ष तक ही मान्य है।
- पूर्व में प्रस्तावित शर्तों 1 लगायत 4 तक का पालन किया गया है।
- छात्रों की आवश्यकतानुसार करीब 50,000/- रुपये की पुस्तकें एवं जर्नल्स और कय किया जाय।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

- प्राचार्य, श्योपुर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, श्योपुर।
- सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2289


दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार मौ विद्यादेवी शिक्षा महाविद्यालय, गुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

परीक्षण समिति द्वारा अंकित टीड :-

1. हम सम्बन्धी दस्तावेजों का किसी प्राधिकृत संस्था/ व्यक्ति से परीक्षण कराया जाना उचित होगा।
2. परिणियम 27/28 के परिप्रेक्ष्य में सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं सामान्यतः सन्तोषजनक हैं।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, मौ विद्यादेवी शिक्षा महाविद्यालय, गुरैना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2290

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार चम्बल बी.एड. महाविद्यालय, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. भूमि सम्बन्धी दस्तावेजों का किसी प्राधिकृत संस्था/ व्यक्ति से परीक्षण कराया जाना उचित होगा।
2. परिनियम 27/28 के परिप्रेक्ष्य में सुविधाएं एवं व्यवस्था सामान्यतः सन्तोषजनक है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, चम्बल बी.एड. महाविद्यालय, मुरैना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चम्बल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2291

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार जय श्री राम शिक्षा महाविद्यालय, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. भूमि/ भवन सम्बन्धी दस्तावेजों का किसी प्राधिकृत संस्था/ व्यक्ति से परीक्षण कराया जाना उचित होगा।
2. परिनियम 27/28 के परिप्रेक्ष्य में सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं सामान्यतः सन्तोषजनक हैं।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, जय श्री राम शिक्षा महाविद्यालय, मुरैना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : सूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2292

दिनांक 14-07-2015


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार श्री अर्जुन सिंह शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाह, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय में प्रयोगशालाओं में सुधार किया जाये।
2. सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाये।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री अर्जुन सिंह शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाह, मुरैना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2293

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार स्वामी विवेकानंद शिक्षा कॉलेज, अम्बाह, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. महाविद्यालय में प्रयोगशालाओं में सुधार किया जाये।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, स्वामी विवेकानंद शिक्षा कॉलेज, अम्बाह, मुरैना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2294

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार जय हिन्द बिस्मिल शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाह, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. परिनियम 28(17) में चुने गए शिक्षकों को ज्वाइन कराया जाए।
2. खेल का मैदान विकसित किया जाए।
3. स्पोर्ट ऑफिसर, पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत की जाये।
4. प्रयोगशालाओं में सुधार किया जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, जय हिन्द बिस्मिल शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाह, मुरैना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2295

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार स्वामी विवेकानन्द शिक्षा महाविद्यालय, रूपहटी, अम्बाह, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की प्रक्रिया चल रही है जिसे अतिशीघ्र पूर्ण किया जावे।
2. पुस्तकालय में लेटेस्ट जर्नल्स (2015) खरीद कर रखे जावे।
3. साइंस लैब के लिये कुछ और उपकरण खरीदे जावे।
4. परिनियम 27-28 का पालन यथावत सुनिश्चित किया जावे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, स्वामी विवेकानन्द शिक्षा महाविद्यालय, रूपहटी, मुरैना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2296

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार शिवम् शिक्षा महाविद्यालय, पोरसा, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. सत्र शुरू होने से पहले स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
2. सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाए।
3. शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि को नामित किया जाए
4. क्रीडा स्थल विकसित किया जाए।
5. प्रति वर्ष मानक स्तर की पुस्तकें पाठ्यक्रमानुसार कय की जाए।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, शिवम् शिक्षा महाविद्यालय, पोरसा, मुरैना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2297

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार आर.बी.एस. कॉलेज, पोरसा, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाए।
2. प्रति वर्ष मानक स्तर की पुस्तकें पाठ्यक्रमानुसार कय की जाए।
3. क्रीडा स्थल विकसित किया जाए।
4. शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि को नामित किया जाए।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, आर.बी.एस. कॉलेज, पोरसा, मुरैना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2298

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार जे.बी. कॉलेज, जौरा, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. The College shall develop sport field, will procure CCTV camera facility, photocopy facility for the students. College will also takes care of development and cleanliness of the college permisis.

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, जे.बी. कॉलेज, जौरा, मुरैना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

113

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2299

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार श्रीमती रामदेवी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, बानमोर, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. स्पोर्ट फील्ड का विकास किया जाये।
2. कोर्स के अनुसार नई पुस्तकें खरीदे।
3. मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, फोटो कॉपी मशीन, पीने का पानी जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करायें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्रीमती रामदेवी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, बानमोर, मुरैना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-वंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2300

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार चम्बल वनस्थली शिक्षा महाविद्यालय, शाहपुर, पोरसा, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. इण्डोर स्पोर्ट सुविधा का शीघ्र विकास करें।
2. सी.सी.टी.वी. की कैमरे और मेल सुविधा महाविद्यालय में शीघ्र उपलब्ध करायें।
3. मल्टीपररज हॉल मल्टीमीडिया सुविधा सहित तैयार करें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, चम्बल वनस्थली शिक्षा महाविद्यालय, पोरसा, मुरैना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2301

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार शिवशंकर महाविद्यालय, सुमावली, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय को कम्प्यूटर लैब स्थापित करनी है। विज्ञान प्रयोगशाला को सुव्यवस्थित किया जाना है।
2. रुपए 50,000/- की पुस्तकें नवीन पाठ्यक्रम के संदर्भ में तथा रुपए 10,000/- के उपकरण एवं टेस्ट मनोविज्ञान प्रयोगशाला हेतु कय किये जाने हैं। प्रथम मंजिला पर जाने वाले जीने पर रेलिंग की व्यवस्था तथा प्रत्येक मंजिल पर लैट्रिन/ बाथरूम की उचित व्यवस्था होना है।
3. पुस्तकालय में प्रकाश व्यवस्था करनी होगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, शिवशंकर महाविद्यालय, सुमावली, मुरैना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

116

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2302

दिनांक 14-07-2015


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, कैलारस, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबंध:-

1. महाविद्यालय द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम पहली बार प्रारंभ किया जाना है। महाविद्यालय को 10 कम्प्यूटर कय करने चाहिये
2. विज्ञान प्रयोगशाला को विकसित किया जाना है।
3. रुपये 50,000/- की नवीन स्लेबस के अनुसार पुस्तकें तथा जर्नल्स कय किये जावें।
4. सत्र प्रारंभ होने के पूर्व विद्युत व्यवस्था में सुधार किया जाना है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, कैलारस, मुरैना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2303


दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार श्री राम शिक्षा महाविद्यालय, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध:-

1. महाविद्यालय के पुस्तकालय में लेटेस्ट जर्नल्स (2015) कय कर रखे जावें।
2. मनोविज्ञान प्रयोगशाला में यद्यपि पर्याप्त उपकरण विद्यमान है, परंतु कुछ और उपकरण कय कर रखे जावें।
3. अग्निशामक यन्त्र (लगभग दो जगहों पर) कय किये जावें।
4. परिनियम 27-28 का नियमित पालन किया जावें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री राम शिक्षा महाविद्यालय, मुरैना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2304

दिनांक 14-07-2015


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार श्री वासुदेव बेसिक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध:-

1. महाविद्यालय में सभी कक्षाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे 15 दिन के भीतर लगाये जावें।
2. जर्नल्स को पुस्तकालय में सुव्यवस्थित रखा जावे। नवीन जर्नल्स भी (2015) कय किये जावें।
3. परिनियम 27-28 का पालन पूर्ववत ही किया जावे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री वासुदेव बेसिक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मुरैना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/9305

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार एस.व्ही.एन. एज्युकेशन कॉलेज, अम्बाह, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. महाविद्यालय में 25,000/- की पुस्तकें क्रय की जावे।
2. साइकोलॉजी लैब में कुछ और उपकरण क्रय कर रखे जावें।
3. परिनियम 27-28 का पालन सुनिश्चित किया जावे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एस.व्ही.एन. एज्युकेशन कॉलेज, अम्बाह, मुरैना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाँव : सूजीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2306

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार गुरुकुल शिक्षा महाविद्यालय, दतिया को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. परिनियम 28(17) के अनुसार पुस्तकालयाध्यक्ष एवं कीडाधिकारी की नियुक्ति 3 माह के भीतर की जावे।
2. सी.सी.टी.वी. कैमरों के कय की प्रकिया चल रही है, जिसका कोटेशन संलग्न है। अतः 15 दिवस के भीतर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जावें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, गुरुकुल शिक्षा महाविद्यालय, दतिया।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2307

दिनांक 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार रास जे.बी. कॉलेज फॉर प्रोफेशनल स्टडीज, दतिया को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. महाविद्यालय कीडा परिसर को उन्नत बनावें।
2. परिनियम 27 एवं 28 का पालन किया जावे

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, रास जे.बी. कॉलेज फॉर प्रोफेशनल स्टडीज, दतिया।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2308

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड एज्युकेशन, दतिया को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. टेक्नीकल स्टॉफ की नियुक्तियां 28(17) के अन्तर्गत की जाये तथा 28(17) में 100 छात्रों के हिसाब से नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति करायें।
2. महाविद्यालय के कक्षाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं हैं।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड एज्युकेशन, दतिया।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विवरण परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2309

दिनांक 14-07-2015


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार श्रीकृष्ण शिक्षा महाविद्यालय, इन्दरगढ़, दतिया को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध:-

1. सभी नियुक्त स्टाफ सत्र प्रारंभ होने से पहले उपस्थिति दर्ज करावें।
2. लाइब्रेरी का स्टॉक रजिस्टर पूर्ण कर सभी प्रविष्टियां अंकित की जावें।
3. मानक स्तर की 100 शीर्षक पाठ्यक्रमानुसार कच की जावें।
4. प्रयोगशाला में उपकरण रुपए 50,000/- के कच किये जावें।
5. स्टाफ का वेतन बैंक के माध्यम से दिया जावें।
6. शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि को नामित किया जावें एवं कार्यविवरण विश्वविद्यालय में जमा किया जावें।
7. खेल मैदान विकसित किया जावें।
8. सी.सी.टी.वी. लगाए जावें।
9. विगत वर्ष की शर्तों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
10. महाविद्यालय का बोर्ड स्थायी तौर पर पेंट करके लगाया जावे एवं फ्लैक्स जोर्ड हटाया जाए।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्रीकृष्ण शिक्षा महाविद्यालय, इन्दरगढ़, दतिया।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूवीसिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2310

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार एस.आर.आई. इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन, दतिया को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध:-

1. नवीन पाठ्यक्रम (बी.एड.) के अनुसार पुस्तकें क्रय की जावें, प्रयोगशालाओं को विकसित किया जावे एवं नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार उपकरण क्रय किये जावें।
2. ऑडिट स्टेटमेंट 2014 का प्रस्तुत करें
3. शासी निकाय की बैठकें नियमानुसार नियमित रूप से आयोजित की जावें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एस.आर.आई. इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन, दतिया।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाग : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2311

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार राधा कृष्ण कॉलेज, दतिया को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय के पास खुद का भवन है, 28(17) में प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति भी है। उपकरण, कक्ष, प्रयोगशालायें पर्याप्त है।
2. पुस्तकों की संख्या कम है।
3. महाविद्यालय के कक्षों में सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं है।
4. महाविद्यालय में जनरेटर नहीं है।
5. महाविद्यालय में 28(17) के अन्तर्गत 100 छात्रों के हिसाब से नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, राधा कृष्ण कॉलेज, दतिया ।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूजीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2312

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार एस.बी. कॉलेज, दतिया को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध:-


1. नवीन पाठ्यक्रम (बी.एड.) के अनुसार उपकरण की व्यवस्था करें एवं प्रयोगशालाओं को व्यवस्थित करें तथा नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकें क्रय की जावें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एस.बी. कॉलेज, दतिया।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता

महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/ 2313

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार एन.एस. मैमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड स्टडीज, भाण्डेर, दतिया को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध:-

1. बेवसाइड को अपडेट करें
2. प्रयोगशाला में 5 एक्सपेरीमेंट के सेट खरीदे जायें।
3. लाइब्रेरी में 25,000/- मूल्य की पुस्तकें क्रयकी जायें।
4. सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जायें।
5. एन.एस.एस. की इकाई का संचालन किया जाये।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एन.एस. मैमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड स्टडीज, भाण्डेर, दतिया।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2314

दिनांक : 14-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार श्री स्वामीजी महाराज कॉलेज ऑफ एज्युकेशन एण्ड साइंसेज, दतिया को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. समय-समय पर वेबसाइट अपडेट की जाए।
2. एन.एस.एस. की इकाई का संचालन सुनिश्चित किया जाये।
3. 28(17) में नियुक्त शिक्षकों का कार्यपरिषद अनुमोदन नहीं है, अतएव कराया जाये।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री स्वामीजी महाराज कॉलेज ऑफ एज्युकेशन एण्ड साइंसेज, दतिया।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्